न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 74 / 2019

1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जरिये प्रधानाचार्य।
2 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नन्दसिंह पुत्र पाबूदान सिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी कालवाड़ रोड़ झोटवाड़ा जिला जयपुर।
2 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री महिपाल सिंह आर.ए.एस. दावा संख्या 72 / 2017 उनवानी नन्दसिंह बनाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी दिनांकित 27.08.2019

अपील संख्या 75 / 2019

1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जरिये प्रधानाचार्य।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नन्दसिंह पुत्र पाबूदान सिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी कालवाड़ रोड़ झोटवाड़ा जिला जयपुर।
2 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री महिपाल सिंह आर.ए.एस. दावा संख्या 72/2017 उनवानी नन्दसिंह बनाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी
दिनांकित 27.08.2019

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.5.24

24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 72/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 312 रकबा 0.29 हैक्टेयर वाके ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला के सन्दर्भ में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी अपीलांट ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद डिक्री किया है एवं काउन्टर वाद खारिज किया है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी की ओर से यह दोनों अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं कानूनी स्थिति का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एंव मूल्यांकन नहीं किया गया। विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय वाद पत्र एवं काउन्टर वाद में दर्ज अभिकथनों तथा अभिकथनों की परिधि में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि के किसी भी हक, हिस्से पर रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा नहीं होना तथा सम्पूर्ण भूमि पर अपीलांट संख्या 1 का विद्यालय भवन व खेल मैदान होना पूर्णतया प्रमाणित होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति के विपरित जाकर अपीलाधीन वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने में गम्भीर कानूनी भूल की गई है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। वर्तमान में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट संख्या 1 बसाजिश रेस्पोडेंट संख्या 2 विवादित भूमि के बावत अवैध विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर विचारण न्यायालय से शीघ्रातिशीघ्र प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित करवाने पर आमादा है ताकि कब्जा किया जा सके। यदि वह अपनी कुचेष्टा में कामयाब हो गया तो विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं खेल कूद सम्बंधित गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित होगी। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 312 के आधे भाग का समर्पण अपीलांट के पक्ष में किया गया है। इस तथ्य को वादी रेस्पोडेंट ने भी स्वीकार किया है। वादी रेस्पोडेंट शेष 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा इस भूमि को कभी भी प्रतिवादी अपीलांट को नही दिया है। प्रतिवादी अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर टिनेन्सी के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादी का विभाजन का वाद विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक रूप से डिक्री करने एवं प्रतिवादी अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 312 के आधे भाग का समर्पण अपीलांट के पक्ष में किया गया है। इस तथ्य को वादी रेस्पोडेंट ने भी स्वीकार किया है। वादी रेस्पोडेंट शेष 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा इस भूमि को कभी भी प्रतिवादी अपीलांट को नही दिया है। प्रतिवादी अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर टिनेन्सी के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादी का विभाजन का वाद विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक रूप से डिक्री करने एवं प्रतिवादी अपीलांट का काउन्टर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

क्लेम खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर